आईआरडीएआई/एफएण्डआई/ओआरडी/विविध/119/6/2023 **2 जून 2023**

सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के जीवन बीमा व्यवसाय का हस्तांतरण एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. को करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 52बी की उप-धारा (2) के अनुसार आदेश

1. संदर्भ के लिए निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है:
   i. आईआरडीएआई आदेश सं. आईआरडीएआई/ एफएण्डए/ ओआरडी/ विविध/ 310/12/2020 दिनांक 30 दिसंबर 2020.
   ii. माननीय प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 11 जनवरी 2018.
   iii. आईआरडीएआई का आदेश आईआरडीएआई/ एफएण्डए/ ओआरडी/ एफए/ 148/ 06/2017 दिनांक 23 जून 2017.
   iv. आईआरडीएआई का आदेश आईआरडीएआई/ एफएण्डए/ ओआरडी/ एफए/ 134/ 06/2017 दिनांक 12 जून 2017.
2. सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. (एसआईएलआईसी) को जीवन बीमा का व्यवसाय करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 6 फरवरी 2004 को प्रदान किया गया था। 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार एसआईएलआईसी की शेयरधारिता का स्वरूप निम्नानुसार था:

शेयरधारक का नाम	शेयरों का %
मेसर्स सहारा इंडिया फाइनैंशियल कारपोरेशन लिमिटेड (एसआईएफसीएल)	50.00
मेसर्स सहारा केयर लिमिटेड (एससीएल)	40.00
मेसर्स सहारा इंडिया कमर्शियल कारपोरेशन लिमिटेड (एसआईसीसीएल)	4.27
मेसर्स सहारा इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड हाउसिंग लिमिटेड (एसआईएचएल)	3.82
मेसर्स सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड	1.27
मेसर्स सहारा वन मीडिया एण्ड एन्टरटेनमेंट लिमिटेड	0.48
मेसर्स मास्टर केमिकल्स लिमिटेड	0.16

3. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के आदेश आईआरडीएआई/ एफएण्डए/ओआरडी/एफए/134/06/2017 दिनांक 12 जून 2017 में विस्तृत रूप में निर्धारित चिंताओं के गंभीर स्वरूप को ध्यान में रखते हुए यह विश्वास करने के लिए निश्चयात्मक कारण हैं कि बीमाकर्ता ऐसे तरीके से कार्य कर रहा था जो संभवतः एसआईएलआईसी की जीवन बीमा पालिसियों के धारकों के हितों और समग्र रूप में बीमा क्षेत्र की सुव्यवस्थित वृद्धि के लिए हानिकर हो सकता था। तदनुसार, एसआईएलआईसी को बीमा अधिनियम, 1938 (बीमा अधिनियम) की धारा 52ए की उप-धारा (1) के उपबंधों को लागू करने के लिए एक उपयुक्त मामले के रूप में पाया गया जो प्राधिकरण के निर्देशन और

सर्वे नं. 115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500 032, भारत
: +91-40-20204000, वेबसाइट : www.irdai.gov.in
Survey No. 115/1, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032, India
: +91-40-20204000, Website : www.irdai.gov.in

नियंत्रण के अंतर्गत बीमाकर्ता के कार्यों का प्रबंध करने के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति करने हेतु प्राधिकरण को सशक्त बनाती है। तदनुसार, आईआरडीएआई के एक महाप्रबंधक को प्रशासक के रूप में 12 जून 2017 को तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया गया।

4. उक्त प्रशासक ने दिनांक 22 जून 2017 के पत्र के द्वारा बीमा अधिनियम की धारा 52बी की उप-धारा (1) के अधीन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रशासक के निष्कर्षों ने एसआईएलआईसी की अभिशासन प्रणाली की कुल विफलता को निर्दिष्ट किया तथा यह कि पालिसीधारकों का हित खतरे में था। प्रशासक की यह राय थी कि निम्नलिखित कारणों से कंपनी को व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिएः
   i. कंपनी के प्रवर्तक 'योग्य और उपयुक्त' (फिट एण्ड़ प्रोपर) नहीं रहे;
   ii. प्रतिभूति जमाओं के नाम से रु. 78.15 करोड़ की राशि का विपथन किया गया था;
   iii. शेयरधारक और निदेशक बोर्ड समुत्थान की योजना के संबंध में उत्सुक नहीं थे;
   iv. कंपनी मुख्य रूप से आरक्षित निधियों के निर्मोचन पर बनी रही थी। तथापि, स्थिति धारणीय नहीं थी क्योंकि कंपनी के नये प्रीमियम में उल्लेखनीय रूप में गिरावट आई थी;
   v. कंपनी के कार्यों का प्रबंध उसके बोर्ड द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि उक्त कार्यों का प्रबंध गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के द्वारा किया गया था।

5. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए प्रशासक के द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की सिफारिश की गई थीः
   i. कंपनी को तत्काल प्रभाव से नये व्यवसाय का जोखिम-अंकन रोकने के लिए सूचित किया जा सकता है;
   ii. बीमाकर्ता का वर्तमान व्यवसाय किसी अन्य बीमाकर्ता को हस्तांतरित किया जा सकता है;
   iii. वर्तमान व्यवसाय का हस्तांतरण किये जाने तक नवीकरण प्रीमियम प्राप्त करने और वर्तमान पालिसीधारकों की सर्विस करने के लिए कंपनी को अनुमति दी जा सकती है।

6. तदनुसार, प्राधिकरण ने बीमा अधिनियम की धारा 52बी की उप-धारा (2) के अधीन आदेश दिनांक 23 जून 2017 के अनुसार एसआईएलआईसी को निम्नानुसार निदेश दियाः
   i. प्रस्ताव जमाराशियों की प्राप्ति या वसूली न करे तथा नये व्यवसाय का जोखिम-अंकन न करे;
   ii. नवीकरण प्रीमियम की वसूली और लेखांकन जारी रखे; तथा
   iii. वर्तमान व्यवसाय और पालिसीधारकों की सर्विसिंग जारी रखे।

7. एसआईएलआईसी के साथ किये गये बहुविध पत्र-व्यवहार और उनको दिये गये वैयक्तिक सुनवाई के अवसर के आधार पर प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँच गया कि एसआईएलआईसी को जीवन बीमा व्यवसाय करने की अनुमति देना जीवन बीमा पालिसियों के धारकों के हित में नहीं था। अतः यह निर्णय लिया गया था कि एसआईएलआईसी के जीवन बीमा व्यवसाय का हस्तांतरण किसी अन्य जीवन बीमाकर्ता को किया जाना चाहिए।

8. उचित प्रक्रिया का अनुसरण करने के उपरांत, एसआईएलआईसी के जीवन बीमा संविभाग के अधिग्राहक के रूप में एक उपयुक्त बीमाकर्ता का चयन किया गया। बीमा अधिनियम की धारा 52बी की उप-धारा (2) के अधीन ऐसे बीमाकर्ता को आईआरडीएआई के आदेश दिनांक 28 जूलाई 2017 के द्वारा नियत दिनांक अर्थात् 31 जुलाई 2017 को एसआईएलआईसी के 'जीवन बीमा संविभाग' का अधिग्रहण करने का निदेश दिया गया। इसी आदेश के माध्यम से एसआईएलआईसी को भी नियत दिनांक से "जीवन बीमा व्यवसाय न करने का" निदेश दिया गया।

9. एसआईएलआईसी ने माननीय प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष आईआरडीएआई के आदेशों के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की। माननीय एसएटी ने अगस्त 2017 और नवंबर 2017 के बीच विभिन्न दिनांकों पर उक्त विषय में सुनवाई का अवसर प्रदान किया। माननीय एसएटी द्वारा 11 जनवरी 2018 को आदेश घोषित और जारी किया गया, जिसमें माननीय एसएटी ने निम्नलिखित निर्णय लियेः

   i. उन्होंने आईआरडीएआई के आदेश दिनांक 12 जून 2017 (प्रशासक की नियुक्ति से संबंधित) तथा आईआरडीएआई के आदेश दिनांक 23 जून 2017 (प्रस्ताव जमाराशियों की प्राप्ति/वसूली/ नये व्यवसाय के जोखिम-अंकन का निषेध करने से संबंधित) को मान्य ठहराया; तथा

   ii. उन्होंने आईआरडीएआई के आदेश दिनांक 28 जुलाई 2017 (एसआईएलआईसी के जीवन बीमा संविभाग का हस्तांतरण अभिनिर्धारित बीमाकर्ता को करने से संबंधित) को निरस्त किया तथा इस निदेश के साथ आईआरडीएआई की फाइल के अंतर्गत संपूर्ण मामले को बरकरार रखा कि प्रशासक की प्रश्नगत रिपोर्ट पर अपीलकर्ता (अर्थात् एसआईएलआईसी) से अभ्यावेदन/ प्रतिक्रिया की अपेक्षा करने के स्तर से आगे बढ़ा जाए और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के साथ सामंजस्य रखते हुए एसआईएलआईसी को अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए। इसी आदेश में माननीय एसएटी ने यह भी निदेश दिया कि एसआईएलआईसी को आईआरडीएआई द्वारा दी जानेवाली नई सुनवाई के दौरान यदि कोई भी पक्षकार अन्य पक्षकार से कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा ऐसी अपेक्षा करने की इच्छा रखता है, तो उक्त अनुरोध पर भी इस संबंध में एक अवसर प्रदान करने के द्वारा विधि के अनुसार विचार किया जाएगा।

10. माननीय एसएटी के उपर्युक्त आदेश दिनांक 11 जनवरी 2018 और उसमें निहित निर्देशों के अनुरूप प्रशासक की प्रश्नगत रिपोर्ट पर एसआईएलआईसी से अभ्यावेदन/प्रतिक्रिया की अपेक्षा करने एवं नैसर्गित न्याय के सिद्धांतों के साथ सामंजस्य रखते हुए अपनी बात कहने के लिए एसआईएलआईसी को अवसर प्रदान करने हेतु एसआईएलआईसी को प्रशासक की रिपोर्ट की एक प्रति उनके उत्तर/प्रतिक्रिया की अपेक्षा करते हुए 18 जनवरी 2018 को उपलब्ध कराई गई। उसपर एसआईएलआईसी की प्रतिक्रियाओं के प्राप्त होने के बाद उक्त मामले की समीक्षा की गई तथा आईआरडीएआई के पत्र दिनांक 15 जनवरी 2019 के पत्र के द्वारा एसआईएलआईसी को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया और सुनवाई का एक और अवसर प्रदान किया गया। वैयक्तिक सुनवाई के लिए 3 दिसंबर 2019 को दिये

गये अवसर के उपरांत, एसआईएलआईसी ने अपने पत्र दिनांक 26 दिसंबर 2019 के द्वारा वैयक्तिक सुनवाई के दौरान उनसे अपेक्षित विवरण प्रस्तुत किये।

11. माननीय एसएटी द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन करने के बाद, प्राधिकरण के द्वारा समूचे मामले की सावधानीपूर्वक समीक्षा की गई। प्रशासक, जाँच अधिकारी (बीमा अधिनियम की धारा 33 के अधीन नियुक्त) की टिप्पणियों तथा एसआईएलआईसी के प्रस्तुतीकरणों पर उचित रूप से विचार करने के उपरांत, आईआरडीएआई द्वारा 30 दिसंबर 2020 के आदेश के अनुसार बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 52बी की उप-धारा (2) के अधीन निम्नलिखित निदेश जारी किये गये और विभिन्न सरोकारों का समाधान करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए एसआईएलआईसी को एक और अवसर प्रदान किया गयाः

   i. *एसआईएलआईसी मेसर्स सहारा इंडिया से रु. 78.15 करोड़ के अग्रिम की वसूली करने के लिए तत्काल कदम उठायेगी। मूल धनराशि की वसूली 3 महीने की अवधि के अंदर की जानी चाहिए तथा ब्याज की पूर्णतः वसूली एक महीने की अतिरिक्त अवधि के अंदर की जानी चाहिए।*

   ii. *चूँकि प्रवर्तक एसआईएफसीएल, एससीएल, एसआईसीसीएल और एसआईएचअल 'योग्य और उपयुक्त' नहीं पाये गये हैं, अतः इन चार संस्थाओं की शेयरधारिता का अंतरण किन्हीं अन्य 'योग्य और उपयुक्त' प्रवर्तकों को आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के ईक्विटी शेयरों का अंतरण) विनियम, 2015 के उपबंधों के अधीन छह महीने की अवधि के अंदर किया जाना चाहिए।*

   iii. *एसआईएलआईसी को निदेश दिया जाता है कि वह आईआरडीएआई को 3 महीने के अंदर एक उचित बोर्ड द्वारा अनुमोदित "व्यवसाय की योजना" प्रस्तुत करे।*

   iv. *एसआईएलआईसी को निदेश दिया जाता है कि 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार समाधान न किये गये सभी बैंक खाते (खातों) का समाधान 2 महीने की अवधि के अंदर करे।*

   v. *एसआईएलआईसी को निदेश दिया जाता है कि अपने आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियाँ मजबूत करे तथा एक निरंतर आधार पर सुदृढ़ कंपनी अभिशासन प्रथाओं के अनुसार अपने व्यवसाय का संचालन करे।*

12. उक्त आदेश दिनांक 30 दिसंबर 2020 के आदेश के निर्गम के बाद, अपनी प्रगति प्रस्तुत करने के लिए एसआईएलआईसी को पर्याप्त अवसर देने के लिए, एसआईएलआईसी से स्थिति की बहुविध अद्यतन जानकारियाँ माँगी गईं। यद्यपि एसआईएलआईसी ने विभिन्न सूचनाओं के द्वारा उत्तर दिया है, परंतु इनमें से किसी ने भी आईआरडीएआई के दिनांक 30 दिसंबर 2020 के आदेश का सार्थक अनुपालन प्रदर्शित नहीं किया है।

13. नियमित अनुवर्तनों, बारंबार अनुस्मारकों और परामर्शों के बावजूद, एसआईएलआईसी ने प्राधिकरण के दिनांक 30 दिसंबर 2020 के आदेश का अनुपालन नहीं दर्शाया है। इस निरंतर बने हुए अननुपालन ने प्राधिकरण को एसआईएलआईसी के प्रशासक द्वारा प्रस्तुत की गई अत्यंत हाल की मासिक रिपोर्ट दिनांक 12 मई 2023 की पुनः पुष्टि की। प्रशासक की टिप्पणियों का सारांश नीचे दिया जाता हैः

i. 29 मार्च 2021 को अथवा उससे पहले मेसर्स सहारा इंडिया से रु. 78.15 करोड़ के अग्रिम की वसूली करने के दायित्व के संबंध में केवल रु. 8 करोड़ की राशि एसआईएलआईसी द्वारा सहारा इंडिया से 12 अगस्त 2021 को प्राप्त की गई है।

ii. वर्तमान प्रवर्तकों (जो अब योग्य और उपयुक्त नहीं रहे हैं) से एसआईएलआईसी का अंतरण किन्हीं अन्य "योग्य और उपयुक्त" प्रवर्तकों को छह महीने की अवधि के अंदर करने के दायित्व के संबंध में एसआईएलआईसी अथवा उनके प्रवर्तकों के द्वारा कोई भी निश्चित कार्रवाई नहीं की गई है।

iii. आईआरडीएआई को 3 महीने की अवधि के अंदर बोर्ड द्वारा अनुमोदित "व्यवसाय योजना" प्रस्तुत करने के दायित्व के संबंध में, प्रस्तुत की गई योजना महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में अधूरी थी।

iv. 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार शेष सभी समाधान न किये गये बैंक खाते (खातों) का समाधान 2 महीने की अवधि के अंदर करने के दायित्व के संबंध में अभी भी 2 खातों का समाधान नहीं किया गया है।

v. अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों को सुदृढ़ करने के दायित्व के संबंध में, बार-बार गंभीर परिचालनात्मक समस्याएँ पाई गई हैं जो एसआईएलआईसी की अभिशासन प्रथाओं के संबंध में निरंतर चिंताएँ उत्पन्न करती रहीं।

अतः यह स्पष्ट है कि एसआईएलआईसी ने प्राधिकरण के दिनांक 30 दिसंबर 2020 में निहित निदेशों का अनुपालन नहीं किया है।

14. यह पाया गया है कि एसआईएलआईसी का पालिसी डेटा निर्दिष्ट करता है कि कंपनी का संविभाग ह्रास (रन-आफ़) की प्रवृत्ति दर्शा रहा है। एसआईएलआईसी के वित्तीय आंकड़ों का विश्लेषण व्यक्त करता है कि वह वित्तीय वर्ष 2019-20 से हानियाँ (कर के बाद) उठाती रही है। वित्तीय स्थिति ह्रासमान है जहाँ बढ़ती हुई हानियाँ और कुल प्रीमियम की तुलना में दावों का उच्चतर प्रतिशत इसकी पुष्टि करते हैं। 'पालिसी देयताओं' का डेटा निर्दिष्ट करता है कि मृत्यु-दर जोखिम अपेक्षाकृत छोटे संविभाग पर व्याप्त है जिसके लिए उच्चतर गणितीय आरक्षित निधि की अपेक्षा की जाती है क्योंकि दावों का भुगतान बढ़ सकता है। जैसे-जैसे संविभाग घट जाता है, वैसे ही निवेश और निवेश के लचीलेपन के लिए उपलब्ध निधियाँ प्रभावित होंगी जिससे निम्नतर लाभ के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। 'प्रचलन में स्थित पालिसियों' की गणना में कमी प्रति पालिसी व्ययों में वृद्धि करेगी तथा एसआईएलआईसी के लिए व्ययों के संबंध में उच्चतर आरक्षित निधियाँ उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी। यदि इस प्रवृत्ति को जारी रहने की अनुमति दी जाती है तो स्थिति बिगड़ जाएगी तथा अधिशेष पूँजी के ह्रास के लिए मार्ग प्रशस्त होगा और एसआईएलआईसी पालिसीधारकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने में समर्थ नहीं हो सकेगी, जिससे उसके पालिसीधारकों का हित खतरे में पड़ जाएगा।

15. बीमा अधिनियम की धारा 52बी की उप-धारा (2) के अधीन आईआरडीएआई द्वारा जारी किये गये 30 दिसंबर 2020 के निदेशों के अनुपालन की स्थिति पर एसआईएलआईसी से एक बार फिर अद्यतन जानकारी 9 मई 2023 को माँगी गई।

16. एसआईएलआईसी द्वारा 12 मई 2023 के मेल के अनुसार प्रस्तुत किये गये उत्तर में की गई प्रगति/30 दिसंबर 2020 को आईआरडीएआई द्वारा जारी किये गये निदेशों के अनुपालन की

स्थिति का कोई उल्लेख नहीं था। एसआईएलआईसी ने विपथन की गई निधियों (रु. 70.15 करोड़ उसके ब्याज सहित) की शेष राशि की वसूली करने के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किया है, उसने आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत नहीं किया है तथा अभी तक अभिनिर्धारित बैंक खातों का पूर्णतः समाधान नहीं किया है। ये उपचारात्मक कार्रवाइयाँ, जो एसआईएलआईसी द्वारा किये जाने के लिए अपेक्षित थीं, सदैव उनके नियंत्रण में थीं और वे किसी भी प्राधिकारण अथवा किसी अन्य न्यायिक मंच के द्वारा किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं किये गये हैं। 30 दिसंबर 2020 को आईआरडीएआई द्वारा जारी किये गये विभिन्न निदेशों का अनुपालन पालिसीधारकों के सर्वोत्तम हितों के लिए कार्य करने की एसआईएलआईसी की सद्भावना और इच्छा को प्रदर्शित कर सकता था। इसके विपरीत, एसआईएलआईसी ने केवल माननीय एसएटी के समक्ष लंबित अपील का हवाला देते हुए टालमटोल वाली और अधूरी प्रतिक्रियाओं का सहारा लिया है।

17. उपर्युक्त तथ्यों तथा एसआईएलआईसी द्वारा प्रस्तुत की गई असंतोषजनक उत्तरों के आधार पर प्राधिकरण अब इस निष्कर्ष पर पहुँच गया है कि अपनी परिस्थिति को सुधारने के लिए पर्याप्त समय और कई अवसर देने के बावजूद एसआईएलआईसी प्राधिकरण के निदेशों का अनुपालन करने के विषय में लगातार हठपूर्वक अवज्ञा करता रहा है।
18. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, तथा एसआईएलआईसी की वित्तीय स्थिति की निरंतर गिरावट के आलोक में एसआईएलआईसी की जीवन बीमा पालिसियों के धारकों के सामान्य हित का संरक्षण और संवर्धन करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक निर्णयात्मक और दृढ़ कार्रवाई की आवश्यकता है।
19. संबंधित सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर उचित रूप से विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि एसआईएलआईसी का जीवन बीमा व्यवसाय (इस आदेश में इसके बाद यथावर्णित रूप में) को तत्काल प्रभाव से किसी अन्य जीवन बीमाकर्ता को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। प्राधिकरण ने एसआईएलआईसी के जीवन बीमा व्यवसाय के हस्तांतरण के लिए अधिग्राहक बीमाकर्ता के रूप में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. का अभिनिर्धारण किया है।
20. तदनुसार, एसआईएलआईसी द्वारा जारी की गई जीवन बीमा पालिसियों के धारकों के हितों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 52बी की उप-धारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण इस आदेश संख्या आईआरडीएआई/ एफएण्डआई/ओआरडी/विविध/119/6/2023 दिनांक 2 जून 2023 के अनुसार इसके द्वारा एसआईएलआईसी के जीवन बीमा व्यवसाय का हस्तांतरण पंजीकरण प्रमाणपत्र 111 से युक्त एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. (अधिग्राहक बीमाकर्ता) जिनका पंजीकृत कार्यालय "नटराज", एम.वी. रोड और पश्चिमी हाईवे जंक्शन, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400069 है, को तत्काल प्रभाव से करने का आदेश देता है।
21. तत्काल प्रभाव से, अर्थात् इस आदेश की तारीख को:
    i. अधिग्राहक बीमाकर्ता इस आदेश की तारीख को स्वतंत्र बीमांकक के मूल्यांकन के अनुसार एसआईएलआईसी की जीवन बीमा पालिसी देयताओं को ग्रहण करता है।
    ii. एसआईएलआईसी की जीवन बीमा पालिसी देयताओं में *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित शामिल हैं :

क. अनाबंटित प्रीमियम,
ख. भावी विनियोजन के लिए निधियाँ,
ग. बकाया दावे,
घ. अनकदीकृत चेकों / एनईएफटी सहित अदावी राशि,
ङ. निपटाये गये, परन्तु नकदीकृत न किये गये दावे,
च. पालिसीधारकों से संबंधित कोई अन्य देयताएँ।

iii. एसआईएलआईसी की निम्नलिखित आस्तियाँ / निवेश भी अनुत्क्रमणीय (इर्रिवर्सिबल) आधार पर अधिग्राहक बीमाकर्ता को हस्तांतरित किये गये हैं :
क. पालिसीधारकों से संबंधित निवेश / जमाराशियाँ,
ख. पालिसियों की जमानत पर ऋण,
ग. बकाया प्रीमियम,
घ. निवेशों / जमाराशियों पर उपचित आय,
ङ. पालिसीधारकों के लिए निर्धारित बैंक खातों में शेष नकदी अथवा नकदी के समतुल्य,
च. एसआईएलआईसी द्वारा जारी की गई जीवन बीमा पालिसियों पर प्रीमियम के कारण एसआईएलआईसी की शाखाओं के पास स्थित कोई नकदी / चेक,
छ. पालिसीधारकों से संबंधित कोई अन्य आस्तियाँ।

बशर्ते कि:

I. 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार संचालित मूल्यांकन के संबंध में एसआईएलआईसी के नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रस्तुत की गई सांविधिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार पालिसीधारकों की देयताएँ हस्तांतरित की जाती हैं;

II. इस आदेश की तारीख को एसआईएलआईसी के विभिन्न खातों में धारित पालिसीधारकों की आस्तियाँ हस्तांतरित की जाती हैं;

III. 31 मार्च 2023 के बाद इस आदेश की तारीख तक पालिसीधारकों की देयताएँ उपर्युक्त पैरा (II) के अनुसार प्राधिकरण द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा दी जानेवाली एसआईएलआईसी की बीमा देयताओं के मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर हस्तांतरित / समायोजित की जाएँगी। उपर्युक्त परंतुक (II) के अनुसार आस्तियों की कमी, यदि कोई हो, स्वतंत्र बीमांकक द्वारा मूल्यांकन की प्रस्तुति के बाद एसआईएलआईसी द्वारा अधिग्राहक बीमाकर्ता को हस्तांतरित की जाएगी। इसी प्रकार, स्वतंत्र बीमांकक द्वारा मूल्यांकन की प्रस्तुति के बाद इस आदेश की तारीख को पालिसी देयताओं से अधिक आस्तियों का आधिक्य, यदि कोई हो, अधिग्राहक बीमाकर्ता के द्वारा एसआईएलआईसी को वापस हस्तांतरित किया जाएगा;

IV. पालिसीधारकों के लिए निर्धारित सभी बैंक खाते और सावधि जमाराशियाँ आदि, अधिग्राहक बीमाकर्ता को हस्तांतरित की जाती हैं।

22. एसआईएलआईसी तथा उनके प्रवर्तक / शेयरधारकः

i. पालिसीधारकों से संबंधित सभी अभिलेख (दोनों भौतिक और इलेक्ट्रानिक फार्मेट) अधिग्राहक बीमाकर्ता को इस आदेश की तारीख से 21 कार्य-दिवसों के अंदर हस्तांतरित करेंगे;

ii. वर्ष 2022-23 के लिए लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देकर इस आदेश की तारीख से 21 कार्य-दिवसों के अंदर आईआरडीएआई को प्रस्तुत करेंगे;

iii. वर्तमान वित्तीय अर्थात् 2023-24 के लिए 2 जून 2023 को समाप्त अवधि तक के लिए वित्तीय परिणामों को अंतिम रूप देकर इस आदेश की तारीख से 45 दिन के अंदर आईआरडीएआई को प्रस्तुत करेंगे;

iv. प्रशासक के द्वारा किये गये वेतन, भत्तों और अन्य व्ययों की तथा इस विषय के संबंध में आईआरडीएआई द्वारा किये गये अन्य व्ययों की प्रतिपूर्ति इस आदेश की तारीख से 90 दिन के अंदर करेंगे;

v. अधिग्राहक बीमाकर्ता को हस्तांतरित की गई पालिसीधारकों की देयताओं को छोड़कर अन्य सभी देयताओं के लिए उत्तरदायी होंगे। सांविधिक देयता, जैसे आय कर, जीएसटी, कर्मचारियों की सांविधिक देय राशियाँ, आदि पूर्णतः एसआईएलआईसी के पास रहेगी;

vi. इस आदेश की तारीख से पहले उसके विरुद्ध पारित किसी भी न्यायिक आदेश अथवा अधिनिर्णय का अनुपालन न करने / लंबित अनुपालन के लिए उत्तरदायी होंगे; तथा

vii. सभी अभिलेखों, प्रणालियों के डेटा तक पहुँच के हस्तांतरण में अधिग्राहक बीमाकर्ता के साथ सहयोग करेंगे।

ऊपर उप-पैरा (i) से (iv) तक उल्लिखित समय-सीमाएँ यदि आवश्यक समझा जाए, तो आईआरडीएआई द्वारा बढ़ाई जा सकती हैं।

23. शेयरधारकों के निवेश आईआरडीएआई के अगले आदेशों तक प्रशासक के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन जारी रहेंगे।

24. एसआईएलआईसी तत्काल प्रभाव से जीवन बीमा व्यवसाय करना समाप्त करेगी।

25. एसआईएलआईसी द्वारा जारी की गई पालिसियों की सर्विसिंग अधिग्राहक बीमाकर्ता के द्वारा अबाध रूप से की जाएगी। अधिग्राहक बीमाकर्ता के द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किये जाएँगे कि पालिसियों का सुचारु अधिग्रहण और सर्विसिंग सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियों/प्रक्रियाओं का समन्वयन शीघ्रातिशीघ्र किया जाएगा।

26. एसआईएलआईसी और अधिग्राहक बीमाकर्ता तुरंत इस आदेश की एक प्रति अपनी संबंधित वेबसाइट में प्रमुख स्थान पर रखेंगे। इसके अलावा, एसआईएलआईसी और अधिग्राहक बीमाकर्ता, अधिग्राहक बीमाकर्ता को एसआईएलआईसी के जीवन बीमा व्यवसाय के हस्तांतरण के विषय में संबंधित सभी को सूचित करते हुए एक सार्वजनिक सूचना व्यापक रूप से प्रसारित दो राष्ट्रीय स्तर के समाचार-पत्रों (एक अंग्रेजी में और दूसरा हिन्दी में) में प्रकाशित करवाएँगे।

27. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. अर्थात् अधिग्राहक बीमाकर्ता:

i. जीवन बीमा व्यवसाय से संबंधित पालिसीधारकों के डेटा की गोपनीयता को सुनिश्चित करेगा।

ii. यह सुनिश्चित करेगा कि अधिग्रहण किये गये जीवन बीमा व्यवसाय की सीमा तक एसआईएलआईसी की प्रणालियों का एकीकरण अधिग्राहक बीमाकर्ता की प्रणालियों में शीघ्रातिशीघ्र, परन्तु इस आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अंदर किया जाएगा।

iii. आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित रूप में केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देशों का अनुपालन किये जाने के लिए आवश्यक कदम उठायेगा तथा इस संबंध में प्रणालियों को स्थापित करेगा।

iv. एसआईएलआईसी के जीवन बीमा व्यवसाय के संबंध में एक स्टैंडअलोन आधार पर और एक समग्र आधार पर 31 मार्च 2024 तक आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 का अनुपालन करेगा।

v. इस आदेश के निर्गम की तारीख से एसआईएलआईसी की बहियों पर केवल पालिसीधारकों संबंधी देयताओं के लिए जिम्मेदार होगा। उपर्युक्त व्यवसाय के संबंध में सभी सांविधिक अनुपालन अधिग्राहक बीमाकर्ता के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

vi. उक्त अधिग्रहण की पुष्टि करते हुए और साथ ही, एसआईएलआईसी के पालिसीधारकों को वह विधि सूचित करते हुए जिसमें अधिग्राहक बीमाकर्ता के द्वारा पालिसियों की सर्विसिंग की जाएगी, सभी पालिसीधारकों को सूचना देगा। अधिग्राहक बीमाकर्ता के द्वारा एसआईएलआईसी के सभी पालिसीधारकों को इस विषय में नोटिस एसएमएस/ई-मेल/डाक के द्वारा भी भेजा जाएगा।

vii. एसआईएलआईसी के पालिसीधारकों की सर्विसिंग के संबंध में प्रायः पूछे जानेवाले प्रश्न (एफएक्यू) उपलब्ध कराएगा तथा इन्हें अपनी वेबसाइट पर भी प्रकाशित करेगा। एसआईएलआईसी के पालिसीधारकों के सरोकारों / समस्याओं का समाधान करने के लिए एक समर्पित कक्ष / ई-मेल पते का निर्माण किया जाएगा।

28. बीमा अधिनियम की धारा 52बी की उप-धारा (3) के अनुसार यह आदेश सभी संबंधित व्यक्तियों पर बाध्यकारी है तथा एसआईएलआईसी के अथवा अधिग्राहक बीमाकर्ता के संस्था के बहिर्नियमों अथवा अंतर्नियमों में किसी बात के होने के बावजूद प्रभावी होगा।

29. यदि इस आदेश के उपबंधों के अर्थनिर्णय में कोई शंका उत्पन्न होती है, तो मामला आईआरडीएआई को भेजा जाएगा तथा इस विषय में उनके विचार और निर्णय अंतिम और सभी संबंधितों पर बाध्यकारी होंगे।

30. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

राकेश जोशी

राकेश जोशी
सदस्य (वित्त एवं निवेश)